न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/6129/2003/करौली

1- गोपीदास पुत्र छोटूदास,
2- पुष्पा देवी पत्नि गोपीदास,
3- रामप्रकाश पुत्र गोपीदास जाति दादूपंथी निवासी नादौती तहसील नादौती , करौली।

...........अपीलांट

बनाम

1- मन्नूदास पुत्र मगनदास जाति दादूपंथी (विक्षिप्त दिमाग) जरिये वादमित्र मु0 कमला पत्नि मन्नूदास जाति दादूपंथी निवासी सलावद तहसील नादौती।
2- सरकार जरिये तहसीलदार नादौती।

.... रैस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः-
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

निर्णय

दिनांक : 13 अगस्त, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-12-2003 अपील सं0 230/2002 बउनवानी गोपीदास बनाम मन्नूदास के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी मन्नूदास ने एक वाद इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 682 जिसके हाल बन्दोबस्त नम्बर 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1508, 1509 रकबा 52 बीघा वाके ग्राम सलावद तहसील नादौती में स्थित है जिसके साबिक नम्बरान 953, 1663, 1706, 1712, 1714 व 1662 हैं। यह आराजी सांवलदास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी तजिसकी मृत्यु सम्वत् 2008 में हो गई थी। उक्त आराजी को सांवलदास के फौत होने के बाद वादी लगातार बतौर मालिक काश्त करते चले आ रहे हैं तथा सरकार लगान अदा कर रहे हैं। कर्मचारियों की गलती से उक्त

आराजी की खातेदारी सांवदास की बेवा मु0 केसरदेवी के नाम हो गयी जबकि कानूनन वक्त के मुताबिक सांवलदास की मृत्यु के बाद उसकी सम्पूर्ण आराजीयात की खातेदारी पिता भगतदास व उसके बाद वादी के नाम होनी चाहिए क्योंकि जयपुर टिनेन्सी एक्ट जो कि दि0 1-2-1946 को तथा स्टेट ग्रान्ट्स लैण्ड टिन्यूर एक्ट दि0 25-1-1947 को प्रभाव में आया उस समय सांवलदास खातेदार काश्तकार था और उक्त दोनों अधिनियमों के प्रावधान लागू होते थे। मु0 केसरदेवी का उक्त प्रश्नगत आराजी में किसी प्रकार का कोई हक नहीं था। अब केसरदेवी की मृत्यु हो चुकी है और उक्त आराजीयात का जो गलत इन्द्राज मु0 केसरदेवी के नाम चला आ रहा था उसको प्रतिवादी नं0 3 ने फर्जी वसीयतनामा दि0 17-9-1975 के आधार पर अपने नाम करा लिया और जब पतिवादी नं0 1 ल0 6 से मिलकर गलत व अवैद्यानिक तरीके से वादी को उक्त आराजी से बेदखल कर आराजी हड़पना चाहता है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वसीयत फर्जी है जिस पर केसरदेवी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। अतः उक्त वसीयत फर्जी व प्रभावहीन है जिसकी आड़ में प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर देगें। इसलिए उन्हें पाबन्द किया जावें। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने जवाब दावा प्रस्तुत किया किन्तु उसके बाद उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय बहस सुनी जाकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 13-12-2002 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिसकी प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर में प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22-12-2003 से अपीलांट की अपील खारिज करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दि0 31-12-2002 यथावत रखा गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 22-12-2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3- दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि प्रश्नगत आराजी सांवलदास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो गलत प्रकार से केसरदेवी के नाम दर्ज कर दी जबकि वादी मन्नूदास का पिता मगनदास पुत्र होने से उत्तराधिकारी है। केसरदेवी ने दिनांक 17-9-1975 को प्रतिवादी नं0 3 रामप्रकाश के हक में वसीयत कर दी तथा वसीयत के आधार पर आराजी रामप्रकाश के दर्ज हुई। वादी मन्नूदास से गोद की कहीं भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा काश्त करते मन्नूदास को नहीं देखा। विचारण न्यायालय ने किसी भी बिन्दू को डिस्कस नहीं किया। सेटलमेन्ट के इन्द्राज के आधार पर दावा डिक्री किया था। तहत न्यायालय ने तनकीयात का सही विवेचन नहीं

किया। दावा दायरी के दिन राजस्व अभिलेख में तब्दीली करने का सैटलमेन्ट को कोई अधिकार नहीं था। अपीलांट ने लगान की रसीदें प्रस्तुत कर अपना कब्जा सिद्ध किया है कि वही खातेदार काश्तकार है। रेस्पो0 का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दि0 22-12-2003 व विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दि0 31-12-2002 अपास्त किये जावें।

5- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी सांवलदास की खातेदारी की है। सांवलदास चेला पंचम दास 2008 में फौत होने पर यह आराजी तीन जगह पर्चे कायम हुए। प्रतिवादी रामप्रकाश सांवलदास की आराजी में आकर आराजी पर क्लेम करता है। यह दादूपंथी का प्रकरण है। मन्नूदास ने सांवलदास के चार ओढ़ी है। दादूपंथियों में चार ओढ़ाने से मालिक हो जाता है। सम्वत् 2009 में मदनदास चेला सांवलदास रेकार्ड में दर्ज है जिसे कभी भी चैलेन्ज नहीं किया गया। जयपुर टिनेन्सी एक्ट के सैक्शन 17 के अनुसार पुत्र के रहते हुए विधवा व लड़की को अधिकार नहीं हैं। उत्तराधिकार अबेयन्स में नहीं रह सकता। सक्शेसन एक्ट 1956 में फोर्स में आया उसमें केसर के नाम कभी जमीन नहीं रही है। सन् 1975 में वसीयत होना बताया है और 1977 में नामान्तकरण खोला गया जिसे खारिज कर दिया क्योंकि वसीयत साबित नहीं हुई। वसीयतनामा से अपीलांट को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। इसलिए अपीलीय न्यायालय व विचारण न्यायालय ने जो निर्णय पारित किये हैं वे विधिनुकूल एवं कानून सम्मत होने से अपीलांट की अपील काबिल खारिज योग्य है।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31-12-2002 में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 में दर्ज नोट से साबित है। वादी खातेदार काश्तकार रेकार्ड में दर्ज है। वादी को इन्द्राज दुरूस्ती की रिलीफ दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित एवं न्यायसंगत माना है तथा वादी का वाद डिक्री योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22-12-2003 में माना कि सांवलदास की खातेदारी की प्रश्नगत आराजी में मु0 केसरी बाई को तत्कालीन जयपुर टिनेन्सी एक्ट में उत्तराधिकारी के रूप में खातेदारी अधिकार विधिसम्मत प्राप्त नहीं होने से रामप्रकाश के पक्ष में मु0 केसरीबाई द्वारा दिनांक 17-9-1975 को की गई वसीयत से अपीलांट रामप्रकाश को कोई

अधिकार अर्जित नहीं होने से प्रार्थना पत्र 212 व अपील खारिज की गई है।

7- पत्रााावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 सं0 1 मन्नूदास की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसे दिनांक 13-12-2002 को परीक्षण न्यायालय ने स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत डिक्री किया है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार सांवलदास के कब्जे काश्त खातेदारी की रही है। सांवलदास की मृत्यु के पश्चात् ख0 नं0 1662 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा मगनदास व केसरबाई के नाम अंकित किया गया है तथा ख0 नं0 945, 953, 1663, 1706, 1712, 1714 केसरबाई बेवा सांवलदास के नाम दर्ज किया गया है। ख0 नं0 1407, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा मगनदास के नाम दर्ज है। वादी के नाम यह आराजी पहले से ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अतः परीक्षण न्यायालय ने जो तनकी सं0 1 कायम की गई उसमें इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का कोई औचित्य नहीं माना है। यह स्पष्ट है कि सांवलदास के फौत होने बाद उसकी बेवा केसरदेवी के नाम खातेदारी दर्ज हुई है और उसके द्धारा वसीयत करायी गयी है। वसीयत के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो निर्णय दिनांक 25-11-1985 से स्पष्ट है और जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 से इसकी पुष्टि होती है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि वादी के कब्जे काश्त में रही है और वादी रेकार्डेड खातेदार होने से प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के लिए विधिक अधिकार रखते हैं। अतः अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्धारा दिनांक 13-12-2002 से स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को डिक्री करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पृथक से दो विवाद बिन्दु तय किये हैं तथा अपने निर्णय में विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए यह माना है कि जयपुर टिनेन्सी एक्ट सम्वत् 2008 की धारा 17 के अनुसार खातेदार की मृत्यु हो जाने पर केवल पुरूष को ही खातेदारी अधिकार अर्जित होते हैं न कि स्त्री सदस्य को। अतः मृतक सांवलदास की खातेदारी की आराजी उसकी बेवा मु0 केसरी को प्राप्त नहीं हो सकती। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान भी यहां लागू नहीं होते हैं। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अकित किया है कि मु0 केसरी को सांवलदास की खातेदारी में विधिक हक अर्जित नहीं होने से उसके द्धारा दिनांक 17-9-1975 को रामप्रकाश के हक में जो वसीयत की गयी है, वह शून्य है। जहां तक वसीयत के पंजीबद्ध नही होने की आपत्ति है तो वसीयत का रजिस्टर्ड होना

आवश्यक नहीं है और सम्पति हस्तान्तरण के प्रावधानों में भी इसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं माना गया है। अतः रामप्रकाश के पक्ष में जो वसीयत की गयी है उसे प्रमाणीकरण के अभाव में सिद्ध नही माना जा सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने जो बिन्दू सं0 2 कायम किया है उसमें उभयपक्ष की साक्ष्य के आधार पर यह माना है वादी और प्रतिवादी दादूपंथी होने से उनके यहां चेला बनाये जाने का रिवाज है तथा चादर उढाने से वह मालिक हो जाता है जिसकी चादर उढायी हो उसकी विरासत प्राप्त कर सकता है। प्रतिवादी के जवाब दावे से वादी चेला होना रेकार्ड चकबन्दी जयुपर स्टेट से चेला मगनदास को खातेदारी हक विरासत से प्राप्त होना प्रमाणित है और उसे मगनदास का चेला होने से खातेदारी अधिकारी प्रमाणित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने प्रकरण में विस्तार से विवेचन करते हुए निर्णय पारित किये हैं ओर दोनों समवर्ती निर्णय है जिनमें द्धितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-12-2003 व उप जिला कलक्टर, हिण्डोन सिटी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31-12-2002 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य